

5.8.24 वकील पार्सी टप.। वकील पार्सी द्वारा दिकी अनुसार सम्बन्ध  
रिफाई के अंकन होगा बताया। पार्सी पत्र के छोटे कर्मवाही  
बोष ही होने पर पार्सी पत्र स्वीकार किया जाता है।  
पदावली नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश से इत्तलाह सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS

2019/00344